जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा / अ.आ. / एल.पी.सी. / 11 / डी– 1889   दिनांकः– 7/12/11

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 85वीं बैठक दिनांकः 23.11.11 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		85:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 83 व 84वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन व 52वीं बैठक से 83वीं बैठक तक लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 84वीं बैठक दिनांक 21.10.11:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 83 व 84वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया व 52वीं से 84वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा की गई। जिन प्रकरणों में पालना रिपोर्ट अवशेष है आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के उपायुक्तों को निर्देश दिये गये। अतिरिक्त आयुक्त एल.पी.सी. अपने स्तर पर सम्बन्धित उपायुक्तो की एल.पी.सी. की बैठक से पूर्व एक बैठक आयोजित कर अनुपालना रिपोर्ट तैयार करवाये। बैठक संख्या 70 के प्रस्ताव संख्या 70:7 की पालना की समीक्षा करने पर आयुक्त महोदय ने निर्देशित किया की जविप्रा द्वारा जिन व्यक्तियों की भूमि सड़क निर्माण या अन्य उपयोग में ले ली गई है व उन्हे अन्यत्र भूमि दी जानी है ऐसे प्रकरणों के लिए एक नीति तैयार करने हेतु सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जावे जिसमें निदेशक (विधि), अतिरिक्त आयुक्त (भूमि), अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी), अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति), उपायुक्त 2 सदस्य होगें। कमेटी द्वारा बनाई गई नीति को जविप्रा की कार्यकारी समिति से अनुमोदन कराया जावे। प्रस्ताव संख्या 78:18(1) राजस्थान आवासन मण्डल को जविप्रा में शामिल नवीन ग्रामों की राजकीय भूमि में से 20 प्रतिशत भूमि देने के सम्बन्ध में शीघ्र आंवटन कार्यवाही करने बाबत् संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय) को निर्देशित किया गया। प्रस्ताव संख्या 66:6 नारी चेतना समिति को आंवटन सुविधा क्षेत्र में कर दिया गया था इसके स्थान पर अन्यत्र जोन–9 में भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश उपायुक्त को दिये गयें। इसी प्रकार प्रस्ताव संख्या 79:2 लोहा मण्डी में हार्डवेयर एसोशिएसन हेतु सुविधा क्षेत्र में आंवटित 247 वर्गमीटर भूमि के स्थान पर अन्य भूमि चिन्हित की जावे। प्रस्ताव संख्या 71:10(3), 74:6(2), 78:9, 78:10, 78:11, 78:13, 82:2, 82:3 को ड्रॉप करने का निर्णय लिया गया।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

2.	2	85:2	राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर को आवंटित भूमि ग्राम किशनबाग तहसील जयपुर में खसरा नं. व रकबा में संशोधन करने बाबत।	प्रस्ताव अनुसार राजस्थान पुलिस अकादमी को ग्राम किशन बाग जयपुर के खसरा नम्बर 50, 104, 105, 106 व 107 कुल रकबा 113 बीघा का निशुल्क आंवटन नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 22.06.11 से किया गया है। उक्त आंवटित भूमि में से खसरा नम्बर 104 व 106 आंवटन योग्य नहीं है। एवं खसरा नम्बर 105, 106 व 107 के बटा नम्बर हो गये है। अतः उक्त भूमि के बदले में जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 50, रकबा 24 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 105, रकबा 38 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 107, रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 105/142, रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 106/143, रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नम्बर 107/144, रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा कुल रकबा 115 बीघा 1 बिस्वा निम्न शर्तो के साथ आंवटन किये जाने का निर्णय लिया गयाः– 1. पूर्व मास्टर प्लान 2011 में प्रश्नगत भूमि का भू–उपयोग रिक्रिएशनल दर्शित है जिसमें निम्न गतिविधि हैः– पार्क, ऑपन स्पेस एवं प्ले ग्राउण्ड अनुज्ञेय है तथा मास्टर प्लान 2025 में अन्य रिक्रिएशनल दर्शित है। अतः दर्शित गतिविधि ही अनुज्ञेय है। 2. नाले के बहाव में स्थित भूमि पर वृक्षारोपण ही किये जावेगें। अतः कोई पक्का निर्माण नहीं किया जायेगा। 3. भविष्य में अमानीशाह नाले के विकास हेतु किसी भी परियोजना को उक्त भूमि की आवश्यकता होने पर जविप्रा उक्त भूमि का उपयोग कर सकेगा। 4. आरपीए के सामने प्रस्तावित सड़क चौड़ाईकरण में आ रही भूमि इस आंवटन में शामिल नहीं होगी। राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त की जाये।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
3.	8	85:2(1)	जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0 को बस डिपो एवं अन्य उपयोग हेतु भूमि आरक्षित करने बाबत्।	जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0 को एल.पी.सी की 77वीं बैठक दिनांक 14.06.11 को लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुये अजमेर रोड़ पर ट्रक टर्मिनल के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 2 क्षेत्रफल 10,864.03 वर्गमीटर, भूखण्ड संख्या 3 का क्षेत्रफल 11,331.56 वर्गमीटर व भूखण्ड संख्या 4 का क्षेत्रफल 12,033.53 वर्गमीटर कुल 34,229.12 वर्गमीटर भूमि जेसीटीएसएल को बसो की पार्किंग के लिए अस्थायी तौर पर आरक्षित करने का निर्णय लिया गया। जेसीटीएसएल को उक्त भूमि उपयोग करने के एवज में जविप्रा को वार्षिक किराया भुगतान करना होगा भूमि जविप्रा के स्वामित्व व आधिपत्य में रहेगी। जेसीटीएसएल व जविप्रा के मध्य एमओयू व शर्ते तय करने हेतु सचिव जविप्रा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई जिसके सदस्य निदेशक (परियोजना), निदेशक (विधि), अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति) व उपायुक्त बीआरटीएस होगें। यह कमेटी शीघ्र अपनी रिपोर्ट आयुक्त महोदय को प्रस्तुत करेगी।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
नगर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	9	85:2(2)	टीलावाला जविप्रा कर्मचारी आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए–100 का बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 10.80 वर्ग मीटर आवंटन करने	टीलावाला जविप्रा कर्मचारी आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए–100 का बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 10.80 वर्ग मीटर भूमि तत्कालीन आवासीय आरक्षित दर की दुगनी कीमत पर आंवटन करने का निर्णय लिया गया।
5.	10	85:2(3)	सन्त श्री आसाराम चेरीटेबल ट्रस्ट पुष्कर अजमेर को ग्राम गोविन्द पुरा रोपाड़ा में आवंटित 25,000 वर्गमीटर भूमि का आंवटन निरस्त करने	सन्त श्री आसाराम चेरीटेबल ट्रस्ट पुष्कर अजमेर को ग्राम गोविन्द पुरा रोपाड़ा में आवंटित 25,000 वर्गमीटर भूमि की निर्धारित दर को सांकेतिक दर करने के सम्बन्ध में प्रकरण निरस्त करने का निर्णय नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3()नविवि /3/05/ दिनांक 20.09.2007 द्वारा लिया गया है। संस्था को जविप्रा द्वारा दिनांक 11.10.07 व 21.12.10 द्वारा राशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया किन्तु संस्था द्वारा राशि जमा नहीं कराने के कारण उक्त आंवटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त जोन--10 को भूमि के वैकल्पिक उपयोग के प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
6.	10	85:2(4)	सुमेल आवासीय योजना में भूखण्ड विनिमय करने बाबत्।	सुमेल आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या ए–273(कार्नर), ए–333 से ए–336, ए–338, ए–345, ए–346, ए–348, ए–349, ए–351, ए–352, ए–354, ए–356, ए–357, ए–360, ए–363(कार्नर), ए–364(कार्नर), ए–367, ए–331, ए–361, ए–506, ए–517, प्रत्येक का क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर तथा ए–400, ए–401, ए–404, ए–405, ए–448, ए–450 प्रत्येक का क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर आवंटन किया गया था। किन्तु उक्त भूखण्ड कोर्ट स्टे से प्रभावित होने के कारण भौतिक कब्जा नहीं सम्भलवाया जा सका। इसके अलावा भूखण्ड संख्या बी–386, बी–389, बी–390 प्रत्येक का क्षेत्रफल 90 वर्गमीटर आवंटित किये गये थे परन्तु उक्त भूखण्ड योजना मानचित्र में विलोपित होने के कारण भौतिक कब्जा नहीं सम्भलवाया जा सका। अतः उक्त भूखण्डों के विनिमय में भूखण्ड संख्या बी–655 से बी–671, बी–678 से बी–694 प्रत्येक का क्षेत्रफल 92.16 वर्गमीटर तथा बी–865 से बी–870 प्रत्येक का क्षेत्रफल 162 वर्गमीटर दिया जाना उपायुक्त द्वारा प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित भूखण्ड संमान चौड़ाई की सड़क पर स्थित है किन्तु बी–655 बी–671 व बी–678 से बी–694 प्रत्येक का क्षेत्रफल 92.16 वर्गमीटर है अर्थात पूर्व आंवटित क्षेत्रफल से 2. 16 वर्गमीटर प्रत्येक में बढ़ा हुआ है। चूंकि बढ़ा हुआ क्षेत्रफल काफी न्यून है अतः तत्कालीन (आंवटन के समय) आरक्षित दर से राशि वसूल की जाकर विनिमय करने का निर्णय लिया गया। कोर्ट स्टे से प्रभावित भूखण्डों पर स्टे समाप्त होने के पश्चात निस्तारण की कार्यवाही जोन द्वारा की जावे।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

7.	13	85:2(5)	जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0 को बसो के ठहराव व उनके रखरखाव हेतु ट्रांसपोर्ट नगर योजना सीकर रोड़ पर भूमि आरक्षित करने बाबत्।	जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0 को बसो के ठहराव व उनके रखरखाव हेतु ट्रांसपोर्ट नगर योजना सीकर रोड़ पर एलपीसी की बैठक संख्या 76 दिनांक 25.04.11 में आरक्षित 17,000 वर्गमीटर भूमि अन्य उपयोग हेतु प्रस्तावित होने कारण इसके स्थान पर 20,000 वर्गमीटर भूमि पूर्व निर्धारित शर्तो पर उपयोग में लेने हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
प्रति० आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / प्रशासन / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
16. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
17. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव (एल.पी.सी.)
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)
प्रति० आयुक्त
जयपुर विकास प्राधिकरण

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 85वी बैठक दिनांक 23.11.11 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री कुलदीप रांका, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री राजन विशाल , सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री एन.के. खरे निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्री वी.एस. सुण्डा, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
6.	श्री पुखराज सैन, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
7.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
8.	श्री ओ.पी. गुप्ता अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
9.	श्री एम.पी. स्वामी निदेशक (विधि)	विशेष आमंत्रित
10.	श्री रामअवतार शर्मा, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति)	विशेष आमंत्रित
11.	श्री राजेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
12.	श्री गिरीश पाराशर, उपायुक्त जोन–2 व 13	विशेष आमंत्रित
13.	श्री अशोक शर्मा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
14.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
15.	श्री चेनसिंह राठौड़ अधिषाशी अधिकारी जोन–10	विशेष आमंत्रित
16.	श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित